

भोमराठम फर्द अहकाम रेजा कॅरेंट
 बनाम उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर) 120/2019 धार्मिकपत्र

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-7-20	<p>कोसेन कापल के कारणवा हसोमिपे धन डाए न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया गत आदेश की धारणा के दिनांक 26-8-20 को पेश हो।</p>	
26-8-20	<p>वकील धार्मिक उपाय प्रोत्साहन अग्रिमिका की पूर्व से नामील होकर लोही है। अवलोकन किया गया। पर्याप्त मानी गयी। बाल्वा आवाज लगावारी गयी कोई उपस्थित नहीं आया अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लयी जाती है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया - मुक्ति प्रकाश से दिनांक 24/2/19 के अन्तर्गम आस्थापी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। अतः बाद बस मजत इस न्यायालय का उपर आदेश आस्थापी निषेधाज्ञा ना फैसला शुल्काद रखापी किया जाता है। तथा प्रॉफ 29 कोर्टिंग किया जाता है। पत्रावली फैसल पुस्तक होकर हमकिया दाकर है। फासली नम्बर से कर लेने।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)